राजस्व वाद संख्याः—100 / 2023
कृपाल सिंह बनाम कृष्ण कंवर वगै0
निर्णय दिनांकः— 18/7/2025

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन उप जिला कलक्टर सूरजगढ झुन्झुनू

पीठासीन अधिकारीः— श्रीमती सुमन देवी II(आर.ए.एस.)

मु0नं0 100 / 2023

1. कृपाल सिंह पुत्र मालसिंह जाति राजपूत निवासी बलौदा तहसील सूरजगढ़ जिला झुन्झुनू राजस्थान

— आवेदक

बनाम

1. कृष्ण कंवर पत्नि गिरवर सिंह जाति राजपूत निवासी बलौदा तहसील सूरजगढ़ जिला झुन्झुनू राजस्थान 1
2. मोहितसिंह पुत्र गिरवर सिंह जाति राजपूत निवासी बलौदा तहसील सूरजगढ़ जिला झुन्झुनू राजस्थान
3. शिव सिंह पुत्र केशु सिंह जाति राजपूत निवासी बलौदा तहसील सूरजगब जिला झुन्झुनू राजस्थान
4. हमीर सिंह पुत्र केशु सिंह जाति राजपूत निवासी बलौदा तहसील सूरजग जिला झुन्झुनू राजस्थान
5. रिसाल सिंह पुत्र लादू सिंह जाति राजपूत निवासी बलौदा तहर्स सूरजगढ़ जिला झुन्झुनू राजस्थान
6. बैंक ऑफ बड़ौदा शाखा बलौदा तहसील सूरजगढ़ जिला झुन्झुनू राजस्थ जरिये शाखा प्रबन्धक
7. राजस्थान सरकार (भूमिधारी) तहसीलदार सूरजगढ तहसील सूरज् जिला झुंझुनूं राजस्थान

अनावेदकगण

प्रार्थना पत्र अ0धा0 251 (क) उपधारा (1)
राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955
निर्णय

संक्षेप में तथ्य प्रार्थना पत्र इस प्रकार है कि तहसील सूरजगढ़ की ग्राम बलौदा में भूमि खसरा नं. 363 रकबा 1.36 है0 खसरा नं. 736 / 146 रकबा 1.75 है0 कुल किता 2 कुल रकबा 3.11 है0 भूमि स्थित है जिसमें आवेदक का सम्पूर्ण हिस्सा है जिसपर है जिस पर आवेदक काबिज काश्त है। राजस्व ग्राम बलौदा की सरहद में भूमि खसरा नं. 151 रकबा 4. 10 है0 आवेदक नं. 1 लगायत 4 की खातेदारी भूमि है। व ग्राम बलौदा की सरहद में भूमि खसरा नं. 152 रकबा 0.22 हेक्टर खसरा नम्बर 220 रकबा 1.96 हैक्टर कुल किता 02 कुल रकबा 2.18 हैक्टर अनवेदक नम्बर 05 की खातेदारी की भूमि स्थित है।

आवेदक की ग्राम बलौदा तहसील सूरजगढ में भूमि खसरा नम्बर 736 / 148 रकबा 1. 75 है० की खातेदार काश्तकार है। जिसमें आवेदक की ग्राम बलौदा में बलौदा से सतनाली जाने वाली सड़क के किनारे पर स्थित भूमि खसरा नम्बर 151 व 152 में से आवेदक की भूमि खसरा नम्बर 736 / 146 में उंट गाडी, मवेशी ट्रैक्टर व अन्य वाहन लाने ले जाने के

उपखण्ड अधिकारी

लिये अनावेदकगण 01 लगायत 04 की भूमि खसरा नम्बर 151 रकबा 4.10 हैक्टर व अनावेदक नम्बर 05 की भूमि खसरा नम्बर 152 रकबा 0.22 हैक्टर के उत्तरी सीमा के सहारे सहारे पूर्वी दिशा से पश्चिम दिशा की ओर 12 फुट चौड़ा रास्ता नजरी नक्शा के अनुसार मार्क ए से बी तक भूमि खसरा नम्बर 736/146 में आने के लिये चाहता है।

यह कि आवेदक उक्त भूमि में से रास्ता प्राप्त करने बाबत नियमानुसार माननीय न्यायालय के आदेशानुसार राशि देने को तैयार है इसलिए उक्त रास्ता राजस्व रिकार्ड में अंकित किया जाना आवश्यक है ।

अतः आवेदन पत्र मय शपथ पत्र पेश कर निवेदन है कि आवेदन पत्र स्वीकार किया जाकर आवेदक के खेत खसरा नम्बर 736/146 रकबा 1.75 हैक्टर में आने जाने बाबत वाहन, उंट गाड़ा, ट्रैक्टर, मवेशी आदि को लाने ले जाने बाबत अनावेदक नम्बर 01 लगायत 04 के खेत खसरा नं. 151 रकबा 4.10 हैक्टर व अनावेदक नम्बर 05 के खेत खसरा नम्बर 152 रकबा 0.22 हैक्टर के उत्तरी सीमा के सहारे सहारे पूर्वी दिशा से पश्चिम दिशा की ओर 12 फुट चौड़ा रास्ता खसरा नम्बर 736/146 रकबा 1.75 हैक्टर में जाने के लिये नजरी नक्शा दर्शित मार्क ए से बी के अनुसार रास्ता घोषित किया जावे व तहसीलदार सूरजगढ को उक्त रास्ता राजस्व रिकोर्ड में अमल दरामद दर्ज किये जाने का आदेश दिया जावे।

प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया एवं तहसीलदार सूरजगढ से मौका जांच रिपोर्ट हेतु तहरीर जारी की गयी । अप्रार्थी 1 लगायत 5 की तरफ से एड0 सुरेन्द्र सिंह तंवर ने वकालतनामा पेश किया शेष अप्रार्थीगण के खिलाफ एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गयी । अप्रार्थी नं. 1 लगायत 5 की ओर से जवाब प्रार्थना पत्र व दस्तावेज पेश किया गया जो शामिल पत्रावली किया गया। अप्रार्थी नं. 1 लगायत 5 की ओर से एड0 सुरेन्द्र सिंह तंवर ने राजीनामा पेश किया जो शामिल पत्रावली किया गया। अनावेदक ने रास्ते की जमीन के बदले जमीन दिये जाने पर सहमति जाहिर की। तहसीलदार सूरजगढ से मौका जांच रिपोर्ट प्राप्त हुई जो शामिल पत्रावली की गयी।

बहस सुनी गई

वकील पक्षकारान की बहस सुनी गयी। बहस एवं तहसीलदार से प्राप्त मौका जांच रिपोर्ट कमांक राजस्व/2024/379 दिनांक 29.05.2024 का अवलोकन किया गया । उक्त मौका जांच रिपोर्ट के अनुसार आवेदक द्वारा चाहे गये रास्ते के अलावा आवेदक की भूमि के कोई स्वीकृतशुदा रास्ता नही लगता है। आवेदक द्वारा चाहे गये रास्ते के अलावा अन्य कोई कटानी कम दुरी का रास्ता नही लगता हैं । राजस्व रिकार्ड के अनुसार आवेदक द्वारा चाहे गये रास्ते के अलावा अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता नही है जो मौके पर चालू हो। उक्त मौका जांच रिपोर्ट एवं बहस का अवलोकन एवं मनन पश्चात तहसीलदार सूरजगढ की मौका रिपोर्ट राजस्व/2024/379 दिनांक 29.05.2024 के साथ पेश भू0अ0 निरीक्षक रिपोर्ट में अंकित नक्शा में दर्शित भूमि प्रार्थी के खेत खसरा नम्बर 736/146 मौजा बलौदा में आने जाने के लिए नजरी नक्शे के मुताबिक खेत खसरा नम्बर 151, 152 में से लाल स्याही से अंकित तक बिन्दू ए से बी तक खसरा नं. 152 की उतरी सीमा के सहारे सहारे 160 मी. तथा खसरा नं. 151 की उतरी सीमा के सहारे सहारे 73 मी. रास्ते की कुल लम्बाई 133 मी. व चौड़ाई 4 मी. कुल क्षेत्रफल 532 वर्ग मीटर अप्रार्थीगण भूमि में से लाल स्याही से अंकित रास्ता रास्ता कायम किया जाना न्यायोचित पाता है।

उपखण्ड अधिकारी
सूरजगढ

राजस्व वाद संख्या–100/2023
कृपाल सिंह बनाम कृष्ण कंवर वगै0
निर्णय दिनांक– 18/7/2025

आदेश

तहसीलदार सूरजगढ की मौका रिपोर्ट राजस्व/2024/379 दिनांक 29.06.2024 के साथ भू0अ0 निरीक्षक रिपोर्ट में अंकित नक्शा में दर्षित भूमि प्रार्थी के खेत खसरा नम्बर 736/146 मौजा बलौदा में आने जाने के लिए नजरी नक्शे के मुताबिक खेत खसरा नम्बर 151, 152 में से लाल स्याही से अंकित तक बिन्दू ए से बी तक खसरा नं. 152 की उतरी सीमा के सहारे सहारे 160 मी. तथा खसरा नं. 151 की उतरी सीमा के सहारे सहारे 73 मी. रास्ते की कुल लम्बाई 133 मी. व चौड़ाई 4 मी. कुल क्षेत्रफल 532 वर्ग मीटर अप्रार्थीगण भूमि में से लाल स्याही से अंकित रास्ता रास्ता कायम किया जाना की घोषणा की जाती है। तहसीलदार सूरजगढ़ को निर्देशित किया जाता है कि वह रास्ते में जाने वाली भूमि के बदले अनावेदक की भूमि की सीमा से लगती भूमि आवेदक की भूमि से कम कर अनावेदक की दी जावे । रास्ते के नाप में अगर कोंई परिवर्तन होता है तो तहसीलदार अपने स्तर पर निस्तारण करे व रास्ते में आने वाले पेड़ या अन्य बाधा को हटाया जाता है तो उसका हर्जा खर्चा प्रार्थी से वसूल किया जावे तथा राजस्व रिकार्ड में रास्ते को अमल दरामद करे। तहसीलदार सूरजगढ की रिपोर्ट तथा राजीनामा निर्णय का भाग रहेगा।

(श्रीमती सुमन देवी II आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी, सूरजगढ़
सूरजगढ

यह निर्णय आज दिनांक 18/7/2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर मेरे हस्ताक्षर इस न्यायालय की मुद्रा से सरे इजलास में सुनाया गया।

(श्रीमती सुमन देवी II आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी ,सूरजगढ़
सूरजगढ